इण्टरमीडिएट परीक्षा १९६६

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

डी० बी० इन्टर कालेज, गोरखपुर

संस्था

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी

द्वारा परिषद् की इण्टरमीडिएट की परीक्षा, १९६६ में प्राप्तांकों का विवरण

वर्ग

दिनांक

अनुक्रमांक

परीक्षार्थी द्वारा लिए गए विषय	विषय के निर्धारित पूर्णांक	प्रथम प्रश्न पत्र	द्वितीय प्रश्न पत्र	तृतीय प्रश्न पत्र	कुल योग	निष्कर्ष	कालिक प्रथम: अनुपस्थिति (हाँ/नहीं) यदि नहीं	कालिक प्रथम: टंकण: लिखित	कालिक प्रथम: टंकण: मौखिक	कालिक द्वितीय: अनुपस्थिति (हाँ/नहीं) यदि नहीं: प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	कुल योग	कालिक द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	कुल योग	निष्कर्ष योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१— [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]													[illegible]
२— [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]												[illegible]
३— [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]													[illegible]
४— [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]													[illegible]
५—																		[illegible]

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अंकों में [illegible]

अंकों प्रथम, द्वितीय तृतीय या फेल	उपाधि	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो वहाँ उपाधि लिखिये	क्या पुरक परीक्षा का अधिकारी है यदि हाँ, तो विषय	क्या निःशुल्क संस्कारोपचार का अधिकारी है
[illegible]					

अतिरिक्त विषय अंकों में प्राप्तांक [illegible] तथा परीक्षाफल [illegible]

नोट—प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं इसकी जाँच परीक्षार्थी अपने दिये विषयों के आधार पर स्वयं भी कर ले और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक के तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करा लें अन्यथा भूल सुधार से विलम्ब हो सकता है जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिणाम कार्यालय में जाँच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षा फल सम्बन्धी नियम

(१) प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिये अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

(२) उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिये। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक पूरा के भीतर किये जाते हैं।

(३) किसी विषय में ७२ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है सम्पूर्ण योग का ७२ प्रतिशत प्राप्त होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

(४) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४२ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

(५) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा उसका सम्पूर्ण प्राप्तांक योग ४० प्रतिशत है और वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है और उसने उसमें ३३ प्रतिशत से कम अंक नहीं प्राप्त किये हैं, तो वह पुरक परीक्षा का अधिकारी होगा। ऐसे सभी परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तकों का संस्कारोपचार निःशुल्क किया जायेगा।

(६) केवल एक विषय में अधिक से अधिक ५ प्रतिशत अंक से अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तकों का संस्कारोपचार निःशुल्क किया जायेगा।

बनाने वाले के हस्ताक्षर

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य

[illegible]